संख्या: 1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014

प्रेषकः

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 2016**

विषयः- **निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कंपनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 14.01.2000 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में किया गया । तत्समय राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त तिथि को निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पेंशनरों तथा कार्यरत कर्मचारियों, जो विभिन्न निगमों में स्थानान्तरित किये गये, के पेंशनरी लाभों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट को अनुदान दिया जायेगा। इसके साथ ही, विभिन्न निगमों द्वारा भी ट्रस्ट को अंशदान दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त धनराशि से पावर सेक्टर के पेंशनरों के पेंशनरी दायित्वों का भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा । यह प्रक्रिया वर्ष 2000-2001 से लागू है ।

2- राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों के कुल पेंशनभोगियों की संख्या मार्च, 2013 को 69955 तथा मार्च, 2014 को 71626 है। औसतन एक माह में पेंशनरी देयों यथा पेंशन, राशिकरण, उपादान एवं पेंशन एरियर पर रूपये 184.14 करोड़ को व्यय होता है।

3- पेंशन संवितरण की वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत बजट से धनराशि उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट को उपलब्ध करायी जाती है तथा ट्रस्ट द्वारा प्रदेश भर में स्थित 92 पेंशन संवितरण इकाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रायः विलम्ब होता है तथा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों, जिनकी संख्या लगभग 72000 है, को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होने में कठिनाई होती है। कई बार इसमें व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है। इसके

https://shasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कट-आफ डेट मानते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त तिथि तक राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कम्पनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा तथा उक्त तिथि के उपरान्त अर्थात 01 मार्च, 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा। कोषागारों से भुगतान इस हेतु अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

(i) **<u>पेंशन प्राधिकार पत्रों का कोषागारों को हस्तान्तरण:</u>** प्रत्येक जनपद से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्राधिकार-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जनपद के कोषागार को पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी ।

(ii) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के बैंक खातों एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) की सूचना पेंशन प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ कोषागार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही, पेंशनर एवं उसकी पत्नी/पति, का नवीनतम अभिप्रमाणित संयुक्त फोटोग्राफ एवं पारिवारिक पेंशन की दशा में पारिवारिक पेंशनर का नवीनतम अभिप्रमाणित फोटोग्राफ, पेंशनर/परिवारिक पेंशनर के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर तथा बायें एवं दायें अंगूठे के निशान के साथ अलग से निर्धारित रूप-पत्र में कोषागार को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(iii) पेंशन प्राधिकार पत्र हस्तान्तरित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट के सचिव अधिकृत होंगे तथा सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट के हस्ताक्षर निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्यापित कर समस्त कोषागारों को प्रेषित किये जायेंगे ।

(iv) कोषागार स्तर पर पेंशनर डाटा बेस में ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये निम्नानुसार श्रेणियों में रखते हुये उनका डाटा फीड कराया जायेगा -

1- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पेंशनर ---------- PS-01
2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पेंशनर ---------- PS-02
3- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के पेंशनर ---------- PS-03
4- उ0प्र0 जल विद्युत निगम के पेंशनर ---------- PS-04
5- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर ---------- PS-05
6- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर ---------- PS-06
7- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर ---------- PS-07
8- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर ---------- PS-08
9- केस्को के पेंशनर ---------- PS-09

(v) **<u>कोषागार से प्रथम भुगतान:</u>** कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पहचान पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर आदि तथा अन्य अभिलेखों, यथा-आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पैन कार्ड/

https://shasanadesh.up.nic.in

पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर पहचान पत्र/आधार कार्ड के आधार पर कराये जाने के उपरान्त ही कोषागार से पेंशन का भुगतान प्रारम्भ किया जा सकेगा। कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर पहचान हेतु कोषागार में व्यक्तिगत रूप से मूल बैंक पास बुक तथा उक्त पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे।

(vi) **<u>पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण:</u>** पेंशन/पारिवारिक पेंशन समय-समय पर पुनरीक्षण, संबंधित कम्पनी द्वारा आदेश जारी किये जाने पर कोषागारों द्वारा किया जायेगा। कट-आफ-डेट के पूर्व की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का भुगतान भी कोषागारों द्वारा किया जायेगा।

(vii) **<u>निगमों का अंशदान:</u>** सचिव यू0पी0 स्टेट पावर सेक्टर ईम्प्लाईज ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न निगमों का अंशदान, जो संबंधित निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (<u>अथवा जो दर निर्धारित की जाये</u>) के बराबर होगा, प्राप्त कर मासिक आधार पर वेतन वितरण के 15 दिवस के अन्दर अंशदान की धनराशि चालान द्वारा कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ में जमा करायी जायेगी। संगत विवरण के साथ चालान की सत्यापित प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को धनराशि जमा कराये जाने के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, उक्त अंशदान की दर का निर्धारण समय-समय पर एक्चुरियल वैल्यूएशन कराते हुये संबंधित निगम द्वारा किया जायेगा ।

अंशदान की धनराशि अधोलिखित लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी -

Þ 0071 -पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान तथा वूसली-01--सिविल-101--अभिदान और अंशदान-07-विद्युत क्षेत्र के पेंशनरों के संबंध में विद्युत कंपनियों का अंशदान ß

अंशदान की दर के संबंध में संबंधित कंपनियों द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे तथा प्रतिलिपि के साथ निदेशक, पेंशन एवं निदेशक, कोषागार को पृष्ठांकित की जायेगी ।

निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को चालान की सत्यापित प्रतिलिपि, संबंधित कंपनी के कार्मिकों, जिनके वेतन के आधार पर अंशदान जमा किया गया है, की संख्या इंगित करते हुये स्टेटमेण्ट भी सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(viii) **<u>कोषागारों से भुगतान हेतु कट-आफ-डेट:</u>** पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट-आफ-डेट 29 फरवरी, 2016 होगी । उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लंबित

https://shasanadesh.up.nic.in

पायी जाती है, तो उसका भुगतान वर्तमान संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कंपनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तांतरित कर दी जाये।

(ix) दिनांक 29.02.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान सीधे संबंधित कोषागार के माध्यम से किया जायेगा । पेंशन प्रपत्र भरे जाते समय कर्मचारी से भुगतान के कोषागार का विकल्प पेंशन-प्रपत्र के अग्रसारण अधिकारी द्वारा भरवाया जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि इस आदेश द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । पेंशन स्वीकृति की वर्तमान प्रक्रिया यथावत् रहेगी। पेंशन प्राधिकार पत्र, सचिव, उ0प्र0 राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित किये जायेंगे।

(X) **<u>राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन:</u>** राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन सम्बन्धित कोषागार द्वारा किया जायेगा। इस हेतु राशिकृत पेंशन के भुगतान की तिथि का प्रमाण पत्र सचिव, उ0प्र0 राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट के माध्यम से दिया जायेगा ।

(xi) **<u>महंगाई राहत</u>** महंगाई राहत का भुगतान सम्बन्धित कम्पनी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर निर्धारित तिथि से किया जायेगा ।

(xii) **<u>भुगतान का लेखाशीर्ष:</u>** ऊर्जा कंपनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सेवानैवृत्तिक दायित्वों का भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था राज्य सरकार के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2071--पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01 के अधीन समुचित लेखाशीर्ष खोलकर करायी जायेगी ।

(xiii) **<u>अनन्तिम पेंशन:</u>** अनन्तिम पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। अंतिम पेंशन स्वीकृत होने पर, कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर द्वारा अनन्तिम पेंशन भुगतान का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ऊर्जा कम्पनी के कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त कर ट्रस्ट के सचिव से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर कोषागार द्वारा समायोजनोपरान्त पेंशन का भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा। अनन्तिम पेंशन के भुगतानार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी ।

(xiv) **<u>जीवन प्रमाण पत्र:</u>** जीवन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उसी भांति कोषागार में प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जायेगा जैसे राज्य सरकार के पेंशनरों द्वारा किया जाता है।

https://shasanadesh.up.nic.in

जीवन प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किये जाने हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पावर सेक्टर ईम्प्लाईज ट्रस्ट एवं पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर सचिव,

--5

ट्रस्ट द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे, भी अधिकृत होंगे। इस संबंध में शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेश सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू होंगे।

(xv) **<u>स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति:</u>** के प्रकरण भी इन आदेशों से आवरित होंगे।

(xvi) **<u>भावी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर:</u>** इन आदेशों के निर्गमोपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होने वाले कार्मिकों/उनके आश्रितों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही निगमों के संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। संबंधित पेंशन भुगतानादेश ग्रेच्युटी भुगतानादेश एवं राशिकरण आदेश, सचिव, उ0प्र0 राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे।

(xvii) दिनांक 08.11.2000 को निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर/कार्मिक उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित किये जा चुके हैं, उनके प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित नहीं होंगे।

4- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-04/X-2016 दिनांक 06.01.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव

<u>संख्या : 1/2016/41/(1)/24-पी-2-16, तददिनांक ।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) समस्त जिलाधिकारी,
(5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर, इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

https://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव1

https://shasanadesh.up.nic.in